

**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in



- 0651-2481813/ 9304727852



पत्रांक : 01/यो0ब0-15/2020-779

दिनांक : 30.12.2020

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो/रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़/धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद/गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह/साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज/वन्यप्राणी प्रमंडल, हजारीबाग/उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली "सिल्विकल्चरल ऑपरेशन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुर्नजनन, जल एवं भू-संरक्षण तथा वृक्षारोपण कार्य, बाँस वनों में कंजेशन (Congestion) हटाना एवं वन वर्द्धन कार्य हेतु **रु0 536.660 (पाँच करोड़ छत्तीस लाख छियासठ हजार रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-33/2020-16/स्वी0 व0प0 दिनांक 03.11.2020 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-33/2020-33/आ0 व0प0 दिनांक 10.12.2020।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष-40 सिल्विकल्चर ऑपरेशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल **रु0 536.660 (पाँच करोड़ छत्तीस लाख छियासठ हजार रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601101400103	429.234
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601101400323	107.426
कुल :-		536.660

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के **अनुलग्नक-1(क) एवं 1(ख)** पर वर्णित वन प्रमंडल पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी एवं अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने कार्यालय के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करेंगे। कार्य दर **अनुलग्नक-2(क) एवं 2(ख)** पर, स्थल विवरणी **अनुलग्नक-3(क) एवं 3(ख)** पर तथा ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-4** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या—19S240601101400103 एवं 19S240601101400323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।
4. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित वन संरक्षक स्थलीय भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे की स्वीकृत स्थलों का घनत्व खुले वन/सामान्य सघन वनों की श्रेणी में आते हैं, जिसे स्थलीय निरीक्षण के अनुसार भारतीय वन सर्वेक्षण के मानचित्र में दिखाये गये घनत्व के अनुसार सही पाया गया है। कार्य शुरू करने के पूर्व सभी स्थलों पर Photography/ Videography करवाई जायेगी, ताकि वनों की वस्तुस्थिति जानी जा सके। अगले वर्ष अप्रैल-मई माह में पुनः Photography/ Videography करवाई जाएगी, ताकि वनों के प्राकृतिक पुनर्जनन विधि से करवाये गए कार्यों से वनों के घनत्व में आए परिवर्तन को देखा जा सके।
- इस योजना में gap/enrichment plantation के लिए प्राकृतिक प्रजाति के 200 पौधे प्रति हे० लगाने के लिए भी प्रावधान किया गया है। Root-Shoot को स्थाई पौधशालाओं से क्रय कर Tube में तैयार किया जाएगा या फिर Tube plant को स्थाई पौधशाला से क्रय किया जाएगा।
5. वन सर्वेक्षण कार्य के दौरान खूंटों को Cutback करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि stump को जमीन से 6" छोड़कर एक बार में तेज टांगी/आरी से काटा जाए, ताकि stump फटे नहीं। किसी भी परिस्थिति में काटी हुई stump की trimming नहीं की जाए।
6. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा स्थल विशेष प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा, जिस संबंधी अभिलेखों का संधारण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में किया जायेगा।
7. इस योजना में प्राकृतिक रूप से पुनर्जनन होने वाले अवकृष्ट वनों को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी वन प्रमंडलों को Digital Map भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसमें भारतीय वन सर्वेक्षण, 2017 के अनुसार प्रमंडल के वनों का Density wise वर्गीकरण है। कार्य प्रारम्भ के पूर्व सभी संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी/वन क्षेत्र पदाधिकारी स्थलीय भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित स्थल उपर वर्णित श्रेणी में आते हैं। इन स्थलों के घनत्व में आए बदलाव को आनेवाले समय में भारतीय वन सर्वेक्षण के Digital Map से देखकर योजना की सफलता/उपयोगिता भी आंकी जा सकेगी।
8. वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, झारखण्ड, राँची द्वारा विभिन्न मॉडल द्वारा बाँस वनों का सघनता (Congestion) हटाना एवं वन वर्द्धन कार्यों के प्रभाव का तुलनात्मक शोध अध्ययन किया गया है, जिसकी Soft copy इस पत्र के साथ संलग्न है। बाँस वनों में कंजेशन हटाने एवं वन वर्द्धन कार्य शोध में वर्णित Model-III के अनुसार ही किया जायेगा। इस मॉडल पर कार्य करते समय यदि कोई कठिनाई आए तो मुख्य वन संरक्षक, शोध से संपर्क कर मार्ग निदेश माँगा जा सकता है।
9. Silviculture operation की योजना के अंतर्गत बाँस बखार की सफाई के लिए व्यय हेतु एक हे० में 200 बखार की संख्या मानक मानी गई है एवं उसी अनुरूप राशि का व्यय किये जायेंगे।
10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया

जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

11. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा। राशि को स्वीकृत योजना तक सीमित रखा जायेगा।

12. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

14. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड होंगे।

15. (i) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेंसी का मार्गदर्शन किया जाएगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा उनके नियंत्री पदाधिकारी निम्न कार्य पर विशेष ध्यान करेंगे :-

(ii) योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।

(iii) नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

(iv) नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं नियमावली में अंकित बैठकों का आयोजन सक्षम स्तर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड द्वारा किया जाएगा। यह online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी की जा सकेगी।

(v) ऐसी कार्यान्वयन एजेंसी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तदनुसार निर्देश अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास द्वारा निर्गत किया जाएगा। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी की हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट किया जाय।

(vi) कोई Duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं किया जाय यथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ्र परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि।

(vii) दो या दो से अधिक स्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय व्यौरा स्पष्ट रूप से अंकित रखा जायेगा।

(viii) विभिन्न आय स्रोतों पर धन राशि व्यय हो रही है, गत 3 वर्ष में आमदनी का व्यौरा भी स्पष्ट किया जाय। यह राशि कोषागार में जमा की जाय। कंडम सामग्री का निष्पादन विधिवत स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाय। स्पटाकपंजी इत्यादि तदनुसार सत्यापित एवं update रहे।

16. Monitoring विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ-साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी :-

(क) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाय। वित्तीय वर्ष 2020-21 से नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

(ख) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।

(ग) विभागीय स्थापित monitoring व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैट्रन पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।

17. (I). निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100 प्रतिशत निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का का स्थूल स्थल नियमित निरीक्षण निर्धारित 100 प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा। विभागीय परिपत्रों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत निरीक्षण मात्र निर्धारित प्रतिशत सीमा जो विभिन्न पदनाम हेतु निर्धारित है, उसका पालन किया जाय।

(III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड) को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(V) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। नियंत्री पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNAREGA इत्यादि के पैटर्न पर तैयार करायें।

(VI) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्ति कर्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थित में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

(VII) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(VIII) Income Tax (IT)/Service Tax (GST/VAT)/Mines Royalty के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।

(IX) कंडिका- VIII के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO का होगा।

18. (i) मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) सभी यंत्र-संयंत्र एवं मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(iii) वैसे यंत्र-संयंत्र, मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

19. (i) COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ-जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवाश इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

(ii) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान के तहत हजारीबाग, गिरिडीह एवं गोड्डा जिलों में योजना के कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

(iii) ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

(iv) कंडिका-19 (II) की monitoring भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जा रहा है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी के अधीन रहेंगे।

20. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

21. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास को तुरंत देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के निर्देशों का पालन किया जाय।

22. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जायेगी।

23. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-सह-ज्ञापांक-686, दिनांक-05.02.2016 द्वारा विभाग के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

24. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

25. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड का पत्रांक-2341 दिनांक-04.12.2020 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समय-समय पर निर्गत योजना-सह-वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।

26. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

27. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो के पत्रांक-1951 दिनांक-24.12.2020 द्वारा उपलब्ध कराया गया स्थल विवरणी स्थल चयन समिति से अनुमोदित नहीं है। अतः निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित स्थल चयन समिति से अनुमोदित स्थल विवरणी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरांत ही राशि व्यय करेंगे। जिन वन प्रमंडलों के स्थलों में जी0पी0एस0 कॉ-ऑर्डिनेटस एवं प्लॉट नं0 अप्राप्त है, उनके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी उक्त स्थलों का जी0पी0एस0 कॉ-ऑर्डिनेटस एवं प्लॉट नं0 उपलब्ध कराने के उपरांत ही राशि व्यय करेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-15/2020- 779 दिनांक- 30.12.2020

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/ दुमका/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/ गिरिडीह दुमका/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-15/2020- 779 दिनांक- 30.12.2020

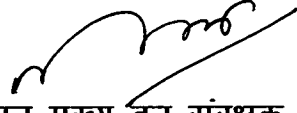
प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, बोकारो/ रामगढ़/ धनबाद/ गिरिडीह/ साहेबगंज/ हजारीबाग/ जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू-संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हे० वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु० 295.80 प्रति मानव दिवस)

क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे०)	2020-21 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			38454.00	13243.14	51697.14
1	बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो /	150	57.681	19.865	77.546
2	रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़ /	200	76.908	26.486	103.394
3	वन्यप्राणी प्रमंडल, हजारीबाग	247	94.981	32.710	127.691
4	उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर	150	57.681	19.865	77.546
कुल योग		747	287.251	98.926	386.177


 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झाखण्ड, राँची

^

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत बाँस वनों में कंजेशन (Congestion) हटाना एवं वन वर्द्धन कार्य का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु0 295.80 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)					
क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे०)	2020-21 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			28396.80	1700.00	30096.80
1	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	200	56.793	3.400	60.193
2	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	50	14.198	0.850	15.048
3	साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज	50	14.198	0.850	15.048
4	वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग	100	28.397	1.700	30.097
5	उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर	100	28.397	1.700	30.097
योग :-		500	141.983	8.500	150.483

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झाखण्ड, राँची

६

योजना का नाम : सिल्विकल्चरल ऑपरेशन योजना का दर निर्धारण

(औसतन 10%-25% वृक्ष/रुट स्टॉक विहीन खुले वन क्षेत्र हेतु)

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु० में) :

295.80

कार्य दर प्रति हे०

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2020-21 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 295.80						
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे०	3	887.40	0.00	887.40	
2	कटबेक/कॉपसिंग, क्लाइम्बर कटिंग, स्टम्प ड्रेसिंग, along with debris removal आदि (All live stumps should be touched)	हे०	30	8874.00	0.00	8874.00	इन कार्यों को करने के क्रम में कदापि किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा। उपरोक्त कार्यों को करने से पूर्व एवं कार्य संपादित करने के पश्चात् संपूर्ण स्थल की विडियोग्राफी/फोटोग्राफी अवश्य कराई जाय।
3	न्यूनतम आवश्यकता अनुसार स्वीकृत विभागीय दर पर वन संरक्षक के अनुमोदन से मशीन द्वारा ट्रेंच घेरान अथवा पत्थर घेरान किया जायेगा (i) ट्रेंच घेरान- ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी०, नीचे की चौड़ाई 1.22 मी०, गहराई 1.22 मी०, ड्रेसिंग सहित (ii) पत्थर घेरान- ऊपर की चौड़ाई 0.30 मी०, नीचे की चौड़ाई 1.25 मी०, ऊँचाई 1.00 मी० (iii) झाड़ी घेरान	प्रति हे० औसतन 6 चैन	12	3549.60	11782.74	15332.34	प्रति हे० ट्रेंच घेरान 6 चैन का प्रावधान है किन्तु वास्तविक स्थल पर भूगतान वास्तविक कार्य संपादन के अनुसार किया जायेगा। उपर्युक्त ट्रेंच बर्म पर स्थानीय प्रजाति के बीजों का वृक्षारोपण किया जाएगा, ताकि Live Hedge/Fence तैयार हो सके।
4	मृदा कार्य (0.45 मी. x 0.45 मी. x 0.45 मी.) 0.091 क्यू० मी० अधिकतम 200 पीट प्रति हे० (संरेखन एवं मृदा प्रोफाइल पिट सहित)	हे०	20	5916.00	0.00	5916.00	औसतन 200 पौधे प्रति हे० रोपण के लिए। वन्य जीव क्षेत्रों में पुर्णतः वन्य जीवों के पर्यावास के विकास के अनुकूल प्रजाति के।
5	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य - कंटूर ट्रेंच - 50, कंटूर साईज 5 मी. x 0.45 मी. x 0.45 मी. का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी कम से कम 2 मीटर ढलान के कोण के अनुसार हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मीटर हट कर 0.30 मीटर की चौड़ाई में 0.15 मी. गहरा कोडनी कर रखा जाना।		40	11832.00	500.00	12332.00	अवश्यकतानुसार ढलान पर ही कंटूर ट्रेंच का निर्माण किया जायेगा। कंटूर ट्रेंच के बर्म पर स्थानीय प्रजाति के बीजों को भी बोया जाएगा।
6	गली प्लगिंग	हे०	6	1774.80	0.00	1774.80	नोट देखें
7	सिल्ट डिटेन्शन डेम, चेक डेम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल टो वाल, स्पर एवं टॉरेंट नियंत्रण कार्य आदि	हे०	15	4437.00		4437.00	नोट देखें
8	स्थायी पौधशालाओं में उपलब्ध (10% अतिरिक्त) 60% Root-Shoot को 6"x12" आकार की ट्यूब में Pre-sprout कराकर पौधा तैयार करना।		2	591.60	960.40	1552.00	स्थायी पौधशाला से क्रय किये गये Tube Plants/ Root-Shoot के क्रय के लिए रु 5.00 की दर से राशि जमा कराई जाएगी। स्थानीय एवं फलदार प्रजाति के बड़े पौधे को प्राथमिकता दी जायेगी
9	वनों की सुरक्षा		2.00	591.60	0.00	591.60	
	योग-		130.00	38454.00	13243.14	51697.14	

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(B)	वित्तीय वर्ष 2021-22 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 340 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2020-21 को आधार मानते हुए						
1	Presprouted Root-Shoot एवं Poly Tube Seedling स्थाई पौधशाला (न्यूनतम 40 प्रतिशत)	220	2	680.00	640.00	1320.00	स्थायी पौधशाला से क्रय किये गये Tube Plants/ Root-Shoot के क्रय के लिए रु 5.00 की दर से राशि जमा कराई जाएगी
2	वृक्षारोपण		4.40	1496.00	0.00	1496.00	
3	दो कोड़नी निकौनी	हे०	5	1700.00	0.00	1700.00	
4	सामग्री (उर्वरक, कम्पोस्ट खाद)	हे०	0	0.00	500.00	500.00	
5	सिंगलिंग कार्य		4	1360.00	0.00	1360.00	
6	पौधों की सुरक्षा (25 हे० तक के लिए पशुरक्षक)		7.30	2482.00	0.00	2482.00	ट्रेन्च घेरान की मरम्मति
	योग-		22.70	7718.00	1140.00	8858.00	
(C)	वित्तीय वर्ष 2022-23 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 391 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2021-22 को आधार मानते हुए						
1	सुरक्षा एवं संपोषण		7.30	2854.30	0.00	2854.30	घेरान, कटूर ट्रेंच की मरम्मति, रोपित पौधे एवं बीज से उपजे पौधों की कोड़नी निकौनी/कॉपिस/कटबैक/सिंगलिंग
	योग-		7.30	2854.30	0.00	2854.30	
(D)	वित्तीय वर्ष 2023-24 में संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 450 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2022-23 को आधार मानते हुए						
1	सुरक्षा एवं संपोषण		7.30	3285.00	0.00	3285.00	घेरान, कटूर ट्रेंच की मरम्मति, रोपित पौधे एवं बीज से उपजे पौधों की कोड़नी निकौनी/कॉपिस/कटबैक/सिंगलिंग
	योग-		7.30	3285.00	0.00	3285.00	
	सकल योग -		167.30	52311.30	14383.14	66694.44	

नोट:-

- प्रत्येक वनरोपण स्थल पर स्थल आवश्यकतानुसार प्रस्तावित कार्यों का प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति पश्चात् कार्य संपादित किए जायेंगे।
- इन कार्यों को करने के क्रम में कदापि किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

“सेल्वीकल्चर ऑपरेशन योजना” के अंतर्गत बाँस बखारों की सफाई हेतु वन-वर्द्धन के कार्यों की दर तालिका

मजदूरी दर - 295.80 रु०

प्रति 200 बाँस बखार (मानक संख्या प्रति हे०)

(राशि रुपये में)

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	मानव दिवस	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि	अभ्युक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
A	वित्तीय वर्ष 2020-21 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 295.80					
1	सर्वे, सीमांकन एवं बखार का नंबरिंग	3	887.40	0.00	887.40	
2	बाँस बखारों (Clumps) की सफाई एवं Silviculturally available बाँसों का विदोहन कार्य (200 बखार प्रति हे० की मानक संख्या से)	40	11832.00	200.00	12032.00	बड़े बाँस बखारों के सुगम विकास हेतु आवश्यकतानुसार बखार को दो या अधिक भाग में विभक्त करना।
3	वनों में आंतरिक अग्नि रेखा की सफाई, 5 मीटर चौड़ा (प्रत्येक 250 मीटर पर) एवं स्थल से सफाई किए गए बाँसों को हटाना	10	2958.00	0.00	2958.00	
4	बखारों के चारों ओर 1.5 फीट गोलाई में निकोनी एवं मिट्टी को हल्का करना तथा खाद डालना	20	5916.00	1500.00	7416.00	एक मानव दिवस में 10 बखारों में कार्य किया जाएगा
5	राइजोम प्रिजरवेशन हेतु बखारों में कोड़नी/निकोनी क्षेत्र के बाहर 1 फीट गोलाई में मिट्टी लेकर बखारों पर चढ़ाना	20	5916.00	0.00	5916.00	एक मानव दिवस में 10 बखारों में कार्य किया जाएगा
6	सुरक्षा (करील की चराई एवं अग्नि से सुरक्षा)	3	887.40	0.00	887.40	सफाई के दौरान निकले राइजोम को उन खाली स्थलों पर लगाना, जहाँ बाँस बखारों की संख्या 200 प्रति हे० से कम है।
	कुल	96	28396.80	1700.00	30096.80	
B	वित्तीय वर्ष 2021-22 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 340 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2020-21 को आधार मानते हुए					
1	सुरक्षा (करील की चराई एवं अग्नि से सुरक्षा)	12	4080.00	0.00	4080.00	
	कुल	12	4080.00	0.00	4080.00	
	सकल योग -	108	32476.80	1700.00	34176.80	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	स्थल का नाम	थाना / थाना सं०	जी०पी०एस० को-ऑर्डिनेट	प्लॉट नंबर	क्षेत्रफल (हे० मे)
1	बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो	गोमिया	गोमिया	नारन	गोमिया-61	N23°44'13.57" E85°41'25.73"	340P, 541, 580	50
		बोकारो	नावाडीह	चिरुडीह	बेरमो-85	N23°45'43" E86°04'29"	391	50
		बोकारो	नावाडीह	बिरनी	नावाडीह-78	N23°48'32" E86°02'55"	179	50
योग:-								150
2	रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़	माण्डू	माण्डू	चैनपुर	माण्डू-48	N23°45'21" E085°25'7"	810, 824, 809, 823	50
		कुजू	माण्डू	जोबला	माण्डू-130	N23°43'28" E085°27'34" N23°43'24" E085°27'27"	1, 4	27
		कुजू	माण्डू	डटना	माण्डू-129	N23°43'38" E085°27'42" N23°43'45" E085°27'52"	233, 318	23
		कुजू	रणगढ़	छोटकीड़णी	माण्डू-179	N23°41'42.08" E085°35'37.34"	1056, 437, 1039	50
		रणगढ़	रणगढ़	बोगई	रणगढ़-138	N23°29'38" E085°36'31"	1599, 1622	50
योग:-								200
3	वन्‍यप्राणी प्रमं डल, हजारीबाग	वन्‍यप्राणी प्रक्षेत्र, चतरा	लावालौंग	कल्याणपुर	सिमरिया-52	N24°03'42.67" E84°46'49.24"	357P, 512, 527, 544, 545, 546, 299P, 311P	47
		वन्‍यप्राणी प्रक्षेत्र, कोडरमा	चौपारण	पथलगड़ा	चौपारण-5	N24°20'45.0" E85°06'15.49"	262, 376, 377, 26, 34, 153, 254, 233	100
		वन्‍यप्राणी प्रक्षेत्र, कोडरमा	चौपारण	मुडिया	चौपारण-3	N24°20'25.24" E85°07'48.61"	136P, 379, 382	100
योग:-								247

क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	स्थल का नाम	थाना / थाना सं०	जी०पी०एस० को-ऑर्डिनेट	प्लॉट नंबर	क्षेत्रफल. (हे० मे०)
4	उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर	दलमा पूर्वी प्रक्षेत्र, जमशेदपुर	पटमदा	गेरुआ	पटमदा-138	N22°50'51.556" E086°15'14.88"	71, 95	25
			पटमदा	भिलाईपहाड़ी	घाटशिला-138	N22°49'29.13" E086°17'18.737"	1, 2, 3, 4, 1333, 1328, 633, 634	50
		दलमा पश्चिमी प्रक्षेत्र, चाण्डिल	चाण्डिल	तनकोचा	चाण्डिल-274	N22°56'28.27" E086°05'36.68"	1, 238P, 357P, 443P, 501, 524P, 522, 514, 442P	25
			चाण्डिल	लुपुंगडीह	चाण्डिल-279	N22°56'58.86" E086°06'03.43"	1759P	50
			चाण्डिल	तेतला	चाण्डिल-278	N22°56'53.21" E086°06'50.14"	1120, 1121, 1156, 1180, 1189	
योग-								150
सकल योग-								747


 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची।
 7

क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	स्थल का नाम	थाना / थाना सं०	जी०पी०एस० को-ऑडिनेट	प्लॉट नंबर	क्षेत्रफल (हे० में)
i	ii	iii	iv	vi	vii	viii	ix	x
1	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	तोपचांची	तोपचांची	राजाबास पहाड़	तोपचांची-188	N23°53'36.40" E86°18'33.88"	724P	50
		धनबाद	निरसा	गुलियारडीह	निरसा-208	N23°43'59.73" E86°19'21.21"	45, 68, 91, 571, 839, 261, 1739, 1756, 1794, 1869, 1963	30
		धनबाद	निरसा	गागना-सह-पोयताडीह	निरसा-242 / 241	N23°79'48" E86°78'55" N23°79'88" E86°77'96"	1, 29	20
		टुण्डी	टुण्डी	टुण्डी पहाड़ (बाघडीह के पास)	टुण्डी-132	N23°57'28.57" E86°21'12.36"	02, 18, 395	50
		टुण्डी	टुण्डी	टुण्डी पहाड़ (बड़ानागपुर के पास)	टुण्डी-132	N23°58'52.98" E86°24'40.19"	581	50
योग:- 200								
2	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	गिरिडीह	पीरटांड	पन्दनाटांड	पीरटांड-58			25
		गिरिडीह	पीरटांड	करंदो	पीरटांड-69			25
योग:- 50								
3	साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज	राजमहल दामिन प्रक्षेत्र, तालझारी	तालझारी	चमदी पहाड़	वृन्दावन-15 / 8पी०	N25°1'52.16 E87°41'26.22"	112, 115, 116, 107, 99	25
			तालझारी	बथानी सथाली	वृन्दावन-79	N24°55'58.35" E87°44'44.60"	66, 421, 269, 477, 503	15
			तालझारी	पाडरकोला	वृन्दावन-62	N24°55'58.57" E87°45'7.79"	163, 166, 221, 232	10
योग:- 50								
4	वन्यप्राणी प्रमंडल, हजारीबाग	वन्यप्राणी प्रक्षेत्र, चतरा	लावालोंग	गंधनिया	सिमरिया-17	N24°03'52.33" E84°41'23.21"	103, 104, 105, 106, 266	50
			लावालोंग	नावाडीह	सिमरिया-20	N24°05'58.01" E84°38'32.20"	503, 505, 666	50
योग:- 100								

क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	स्थल का नाम	थाना / थाना सं०	जी०पी०एस० को-ऑडिनेट	प्लॉट नंबर	क्षेत्रफल (हे० में)
i	ii	iii	iv	vi	vii	viii	ix	x
5	उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर	दलमा पूर्वी प्रक्षेत्र, जमशेदपुर	पटमदा	सारी	पटमदा-145	N22°50'41.70" E086°20'49.70"	821P, 268, 903P, 330P, 40	40
			पटमदा	गोबरगुसाई	पटमदा-147	N22°51'01.05" E086°20'48.42"	1, 2, 3, 4, 5, 6P, 7P, 8, 9, 10, 11, 13P, 14, 1107P	35
		दलमा पश्चिमी प्रक्षेत्र, चाण्डिल	चांडिल	रामगढ़	चांडिल-326	N22°53'08.80" E086°09'29.48"	23, 4, 25, 17, 18, 19, 20, 16	25
योग:-								100
कुल योग:-								500

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-15/2020/779

दिनांक - 30-Dec-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	66985	BKRFOR001 ARUN KUMAR SINGH D F O, BOKARO	5,768,100.00 रुपये सत्तावन लाख अड़सठ हजार एक सौ
2	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	66987	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICE	7,690,800.00 रुपये छहत्तर लाख नब्बे हजार आठ सौ

योग:

13,458,900.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड़ चौतीस लाख अठायन हजार नौ सौ

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं ध्यान पदा.	आवंटित राशि
3	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	66990	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	5,679,300.00 रुपये छप्पन लाख उन्नीस हजार तीन सौ
4	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	67000	GRDFOR001 RAJKUMAR SAH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	1,419,800.00 रुपये चौदह लाख उन्नीस हजार आठ सौ
5	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	67010	SBJFOR001 VIKAS PALIWAL DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	1,419,800.00 रुपये चौदह लाख उन्नीस हजार आठ सौ
योग:				8,518,900.00
क्रमिक योग:				21,977,800.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
6	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विक्ल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	67014	HZBFWL016 AWANISH KUMAR CHAUDHARY D.F.O.WILD LIFE HZB	12,337,800.00 रुपये एक करोड तेइस लाख सैतीस हजार आठ सौ
	State Scheme : Central Scheme :	SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) NA		
7	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विक्ल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	67015	JSRFOR002 SHRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S) DY.C.F.& F.D.PROJ.ELEPHANT JSR	8,607,800.00 रुपये छियासी लाख सात हजार आठ सौ
	State Scheme : Central Scheme :	SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) NA		
8	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विक्ल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	67018	BKRFOR001 ARUN KUMAR SINGH D F O, BOKARO	1,986,500.00 रुपये उन्नीस लाख छियासी हजार पाँच सौ
	State Scheme : Central Scheme :	SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) NA		

योग:

22,932,100.00

क्रमिक योग:

रुपये चार करोड उनचास लाख नौ हजार नौ सौ

44,909,900.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं ध्यान पदा.	आवंटित राशि
9	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	67020	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER	2,648,600.00 रुपये छब्बीस लाख अड़तालीस हजार रु: सौ
	State Scheme : Central Scheme :	SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) NA		
10	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	67023	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	340,000.00 रुपये तीन लाख चालीस हजार
	State Scheme : Central Scheme :	SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) NA		
11	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	67025	GRDFOR001 RAJKUMAR SAH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	85,000.00 रुपये पचयासी हजार
	State Scheme : Central Scheme :	SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) NA		

योग:

3,073,600.00

क्रमिक योग:

रुपये चार करोड उन्नासी लाख तिरयासी हजार पाँच सौ

47,983,500.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	67028	SBJFOR001 VIKAS PALIWAL DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	85,000.00 रुपये पिचयासी हजार
13	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	67031	HZBFWL016 AWANISH KUMAR CHAUDHARY D.F.O.WILD LIFE HZB	3,441,000.00 रुपये चौतीस लाख इकतालीस हजार
14	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	67033	JSRFOR002 SHRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S) DY.C.F.& F.D.PROJ.ELEPHANT JSR	2,156,500.00 रुपये इक्कीस लाख छप्पन हजार पाँच सौ

योग:

5,682,500.00

क्रमिक योग:

रुपये पाँच करोड छत्तीस लाख छायठ हजार

53,666,000.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND